न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 37/2023

जी.सी.एम.एस. : 2023/215

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. मांगीलाल पुत्र लादुराम 2. सोहनलाल पुत्र लादुराम 3. पेपीदेवी पत्नी चेनालाल 4. अनिल पुत्र चेनालाल 5. गणेश पुत्र चेनालाल 6. प्रदीप पुत्र चेनालाल 7. अशोक पुत्र चेनालाल 8. दिनेश पुत्र बाबुलाल 9. राकेश पुत्र बाबुलाल 10. पोनी पत्नी बाबुलाल 11. शंकुन्तला पत्नी कन्हैयालाल जातिगण घांची निवासीगण खारड़ा तहसील रानी जिला पाली		उप तहसीलदार खिंवाड़ा तहसील रानी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता सुमेरसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26-2-2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार खिवाडा के राजस्व प्रकरण संख्या 38/2022 सरकार बनाम मांगीलाल में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2022 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम खारडा के खसरा नम्बर 385 रकबा 2.11 हैक्टेयर किस्म सेवज अव्वल भुमि पर अपीलाण्ट का अवैध कब्जा बताते हुए पटवारी हल्का ढारिया की रिपोर्ट दिनांक 27.09.2022 के आधार पर एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.09.2018 की पालना में राज. भु–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर दिनांक 07.10.2022 की पेशी नियत की गई जिसकी पालना में अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जैर अपील आराजी के संबध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी मे प्रकरण विचाराधीन होना बताया एंव अपना जवाब पेश किया लेकिन अपीलाण्ट को साक्ष्य सबुत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाण्टगण की अनुपस्थिति में जैर निगरानी आदेश पारित कर अपीलाण्टस को बेदखल एंव वार्षिक लगान का 50 गुणांक 1055/– रूपये जुर्माना का आदेश पारित कर दिया। जैर अपील आराजी कभी भी मंदिर की खुदकाश्त भुमि नही रही है। गलती से डोली मंदिर चारभुजाजी के नाम दर्ज हो गयी है। ऐसी स्थिति में जागिरी अधिनियम 1952 प्रभाव में आने के बाद जागीरी रिज्युम के बाद विधिनुसार तत्कालीन खातेदार को विधिनुसार खातेदारी दी गई थी। जैर अपील आराजी अपीलाण्ट द्वारा

अति. जिला कलक्टर, पाली

खरीद की गई है और उसी के आधार पर मौके पर काबिज है एवं काश्त कर रहे है। जैर अपील कार्यवाही राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.09.2018 की पालना में की गई जिसमें स्पष्ट है कि पुजारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का अतिक्रमण होने पर पुजारी या पटवारी द्वारा आवेदन किये जाने पर ही धारा 91 की कार्यवाही की जावेगी। तहसीलदार कार्यालय में मंदिर माफी/देव मुर्ति की भुमियों के संबध में रेकर्ड रजिस्टर संधारण किया जाता है। उक्त रजिस्टर के क्रम संख्या 76 पर खसरा नम्बर 385 का अंकन है, जिसमें भुमि को चारभुजा मंदिर का होना बताते हुए पुजारियों और ट्रस्ट के कॉलम में अपीलाण्ट का नाम दर्ज है, जिसके आधार पर अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट के विरूद्ध धार 91 की कार्यवाही पुजारी श्रवण पुत्र दयाराम के प्रार्थना पत्र एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–प/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 की पालना में मुर्ति मंदिर की भुमि पर अतिक्रमण रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जैर अपील आराजी मंदिर चारभुजा के नाम रेकर्ड में दर्ज है, जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा है। अपीलाण्ट को मातहत अदालत ने नियमानुसार नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया था, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट की उपस्थिति में उसके विरूद्ध जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत एवं नियमानुसार किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश उप तहसीलदार खिवाडा ने डोली मंदिर मुर्ति चारभुजाजी के पुजारी श्रवण पुत्र दयाराम जाति साद निवासी खारडा द्वारा तहसीलदार रानी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर जैर अपील आराजी की भुमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने एवं राजस्व (ग्रुप 6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–प/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 की पालना में डोली मंदिर भुमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट पर सिवायचक/चारागाह भुमि की तरह राज. भु–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु पटवारी हल्का ढारिया से जांच करवाकर जैर अपील प्रकरण दर्ज किया गया। पटवारी हल्का ढारिया की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 18.08.2022 के अनुसार खसरा नम्बर 385 रकबा 2.40 हैक्टेयर किस्म सेवज अव्वल जो राजस्व रेकर्ड में चारभुजा मंदिर के नाम दर्ज है, जिस पर 30–40 वर्षो से मांगीलाल, पेपी पत्नी चेनुलाल, पोनी, बाबुलाल वगैराह जाति घांची का कब्जा है जिस पर जुताई की हुयी है। जैर अपील आराजी के मिसल बन्दोबस्त संवत 2009 से 2028 के अनुसार उपरोक्त कृषि भुमि डोली मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा की खुदकाश्त होना दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभावशील होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व अधिनियम 1952 की धारा 10 के अनुसार उपरोक्त आराजी डोली मंदिर मुर्ति श्री चारभुजा को By Operation of Law के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। उपरोक्त आराजी से प्राप्त उपज से मुर्ति चारभुजा की सेवा अर्चना पुजा व्यवस्था आदि पर खर्चे एवं कबुतरखाना एवं धार्मिक प्रयोजनार्थ हेतु काम मे लिया जाता है। जैर निगरानी आराजी काश्त हेतु मांगीलाल छोगाराम पि0 लादुराम पेपी पत्नी बाबुलाल झमकु देवी पत्नी कन्हैयालाल समस्त जातिगण घांची निवासगण खारडा, एवं ओगडराम पुत्र पुराजी जाति सरगरा निवासी खारडा को दे रखी थी परन्तु अपीलाण्ट ने उपरोक्त आराजी से पैदा होने वाली उपज का 1/4 हिस्सा वर्ष 2012 से देना बंद कर देने से श्रवण पुत्र दयाराम जाति साद ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि जैर अपील आराजी पर अपीलाण्ट को काश्त करने से मना कर देने के बाद भी बिना अधिकार के अतिक्रमण कर जबरदस्ती कब्जा काश्त कर रहे है एवं उपज का कोई हिस्सा डोली मंदिर मुर्ति श्री चारभुजा जी को नही दे रहे है, जिससे सन्दर्भ में डोली मंदिर श्री चारभुजा जी जो शाश्वत नाबालिग है, के सरक्षण हेतु राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–प/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 के अनुसार राजस्व विभाग या बंदोबस्त विभाग द्वारा जो जमाबंदी बनाई जावे उनमें देवमुर्ति के साथ पुजारी या सेवारत का नाम नही लिखा जावे एंव ऐसी भुमि के संन्दर्भ में तहसील स्तर पर अलग से रजिस्टर संधारण कर उसमे पुजारियों का नाम लिखा जावे साथ ही मंदिर की भुमि का विधि विरूद्ध रहन या विक्रय न हो सके इसलिए राजस्व रेकर्ड एवं जमाबंदीयों में पुजारीयों का नाम हटाने के

अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्देश दिये गये एवं परिपत्र के बिन्दु संख्या 05 के अनुसार ''मंदिर की भुमि पर अतिक्रमण करने की स्थिति में पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध उसी अनुरूप कार्यवाही करे जैसी राजकीय भुमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध की जाती है। जैर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार द्वारा पुजारी श्रवण पुत्र दयाराम जाति साद के प्रार्थना पत्र एवं राजस्व विभाग के परिपत्र की पालना में किया गया है। उक्त आराजी के सन्दर्भ में ग्राम खारडा की जमांबदी 2073–2076, जमाबदी सम्वत 2049 से 2052, संवत 2065–2068 के अवलोकन से स्पष्ट है की जैर आराजी भूमि मंदिर श्री चारभुजाजी के नाम है एवं ग्राम पंचायत ढारिया के अनुसार इस मंदिर के वर्तमान पुजारी श्रवण कुमार एवं उसके परिवार वाले है। श्रवण कुमार से पुर्व उसके पिता दयाराम एवं उसके दादा उक्त मंदिर के पुजारी थे। श्रवण कुमार ने पुजारी की हेसियत से तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र एंव परिपत्र के आधार पर जैर अपील आदेश की कार्यवाही हेतु निवेदन किया जिसके आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। मंदिर मुर्ति की भुमि पर केवल पुजारी एवं उसके परिवार को काश्त करने का अधिकार है, जिससे मंदिर की पुजा अर्चना सेवा एंव धार्मिक कार्य संपादित किये जा सके, किसी अन्य को काश्त करने का अधिकार नही है। अपीलार्थी अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि जैर अपील आराजी जरिये इकरार खरीद की गई है लेकिन इस संबध में किसी प्रकार के दस्तावेज पत्रावली पर नही है। जैर अपील आराजी डोली मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा की है, जिसे किसी को हस्तान्तरण बैचान या रहन नही किया जा सकता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार कर उप तहसीलदार खिवाडा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे जांच करे की प्रश्नगत भुमि पर पुजारी के इतर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जाता है तो जैर अपील आदेश की पालना में बेदखली की कार्यवाही की जावें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 26-2-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली